


बाणक 144/19 हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
इलाक़े नदिमानी नौमकाथाना

10³/₂₀₂₄

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम बहादुरमल पुत्र मूंगा राम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम भोलाराम पुत्र मूंगाराम दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रार्थी का सही नाम है और तहसीलदार नीमकाथाना का पत्रांक भू अ./2019/8040 दिनांक 25.09.2017 द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।


बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भोलाराम पुत्र मूंगाराम अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का सही नाम बहादुर मल पुत्र मूंगाराम है की पुष्टि राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रार्थी का सही नाम है और तहसीलदार नीमकाथाना का पत्रांक भू अ./2019/8040 दिनांक 25.09.2017 से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।


(ब्रिजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सिंकर)
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि भूमि ख. नं. 675 से 680 कुल किता 6 कुल रकबा 2.87 है0 तन ग्राम लाखा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में भोलाराम पुत्र मूंगाराम के स्थान पर बहादुर मल पुत्र मूंगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(ब्रिजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सिंकर)
नीमकाथाना

